क्रम-संख्या-244

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1985

चैत्र 14, 1907 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 557/सत्रह-वि-1-1 (क)-5-1985

लखनऊ, 4 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 3 अप्रैल, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1895]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) धारा 2 दस अक्तूबर, 1984 को और धारा 3 इकतिस दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 में नयी धारा 31-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

"31-क--(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जाय, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

धारा 50 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 50 में,--

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे, और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राजेश्वर सिंह,
विशेष सचिव।

No. 557(2)/XVII-V-1—1(KA)-5-1985

Dated Lucknow, April 4, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 3, 1985:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. Act No. 9 of 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

It is hereby enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1985.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on October 10, 1984, section 3 shall be deemed to have come into force on December 31, 1984 and the rest of the provisions shall come into force at once.

Insertion of new section 31-A in President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974

2. *After* section 31 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"31-A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, a Lecturer or Reader in the University substantively appointed under section 31, who has put in such length of service and possesses such qualifications, as may be prescribed, may be given personal promotion, respectively to the post of Reader or Professor.

Personal promotion to Teachers of University.

(2) Such personal promotion shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under clause (*a*) of sub-section (4) of section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Nothing contained in this section shall affect the posts of the teachers of the University to be filled by direct appointment in accordance with the provisions of section 31."

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principal Act,

(*a*) in sub-section (1-A), *for* the word and figures "December 31, 1984" the word and figures "December 31, 1985" shall be *substituted*, and

(*b*) in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 1984" the word and figures "December 31, 1985" shall be *substituted*.

U. P. Ordinance no. 18 of 1984 and no. 28 of 1984.

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1984 and the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 1984, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

RAJESHWAR SINGH,

Vishesh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 4 सा० (विधा०)—(83)—1985—750 (मेके०)।